न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्य 29/2022

राजस्थान सरकार जरिये श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रर्वतन निरीक्षक, किशनगढ

.....प्रार्थी .....

बनाम

1–श्री विश्राम जाट पुत्र श्री कालूराम जाट दगोलाई की ढाणी, मगरी, अजमेर थाना गेगल, अजमेर

2–श्री पुखराज भाटी पुत्र श्री सोहन भाटी निवासी सराना, ममरा, अजमेर।

3–श्री लोकेश कार्मिक सार्थक एचपी गैस एजेन्सी, किशनगढ।

4–सार्थक एचपी गैस एजेन्सी, किशनगढ। .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;–

1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार
2. श्री संदीप टांक अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 से 4
3. श्री अशोक कुमार जैन अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01

आदेश

दिनांक 12.10..2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.08.2022 को मुखबीर से लाल घरेलू सिलेण्डरो से बडे नीले वाणिज्यिक सिलेण्डरो में अवैध गैस रिफिलिग का कार्य करने का व्यवसाय की प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन स्टॉफ जांच दल, द्वारा मार्बल इण्डस्ट्रियल रिको एरिया, किशनगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के प्लॉट पर पहुॅच कर उसकी स्वयं की उपस्थिति में जांच कार्यवाही की गई। जॉच में मौके पर महिन्द्रा पिकअप वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे–01–जीसी–5703 खडी हुई पाई गई जिसमें एचपीसीएल कंपनी के 77 खाली लाल घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा गैस) पाये गये। पिकअप वाहन पर सार्थक एचपी गैस एजेन्सी किशनगढ, अंकित किया, पाया गया। श्री विश्राम जाट के अनुसार लाल घरेलू सिलेण्डरो भर्ती 14.2 किग्रा गैस प्रति सिलेण्डर से बडे नीले वाणिज्यिक सिलेण्डरो भर्ती 19 किग्रा गैस प्रति सिलेण्डर में अवैध गैस रिफिलिग का कार्य किया जाता है। श्री विश्राम जाट के बयान अनुसार वह लाल घरेलू सिलेण्डर 1150 प्रति सिलेण्डर की दर से बिक्री करता है एवं छोटे सिलेण्डर से बडे वाणिज्यिक सिलेण्डर में गैस भरकर 1850 रूपये प्रति सिलेण्डर की दर पर बिक्री करता है जबकि श्री विश्राम जाट के पास गैस सिलेण्डर के भण्डारण, विक्रय, रिफलिग करने का कोई वैध अनुज्ञा पत्र अनुमति पत्र नही है। अप्रार्थी संख्या 02 श्री पुखराज भाटी मौके पर उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी 5703 का वाहन चालक बताया। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बताया गया कि वह मैसर्स सार्थक एचपी गैस एजेन्सी पर वाहन चालक का कार्य करता है। श्री लोकेश सार्थक एचपी गैस एजेन्सी के कहने पर 14.2 कि0ग्राम गैस भर्ती के 20 घरेलू लाल सिलेण्डर श्री विश्राम के प्लॉट पर उतारे है। मौके पर एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मोटर, दो इलेंक्ट्रॉनिक कम्प्यूटराईज्ड कांटे तथा कुल 130 गैस सिलेण्डर मय 665.2 कि.ग्रा गैस के पाये गए। कुल 130 सिलेण्डर मय 665.20 किलोग्राम एलपीजी गैस जिसका विस्तृत तौल

जिला कलक्टर
अजमेर

तलपट्टी पर अंकित है जिसका अर्जुन एचपीसीएल गैस एजेन्सी किशनगढ के कार्मिक श्री नंदलाल व जगदीश द्वारा आईएसआई प्रमाणित स्केल कांटे से तोलकर वजन किया गया । मौके पर भण्डारित गैस सिलेण्डरो के बारे में श्री विश्राम जाट व पिकअप ड्राइवर श्री पुखराज भाटी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये। मौके से अवैध रूप से भण्डारित कुल 130 गेस सिलेण्डरो मय एलपीजी 665.2 कि.ग्राम, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, एक इलेक्ट्रिक रिफलिंग मशीन मय पाइप मैसर्स अर्जुन एचपी गैस एजेन्सी किशनगढ के कार्मिक श्री नवीन दाधीच को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिये गये। जब्तशुद्वा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी–5703 को भारसाधक, पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दी गई। श्री विश्राम जाट, श्री पुखराज भाटी, श्री लोकेश एवं सार्थक एचपी गैस एजेन्सी का आर्थिक हितों के लिए यह कृत्य मानव जीवन के लिए जोखिमपूर्ण एवं हानिकारक है जो कि एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1)(ख)(घ), 3 (3), 4 (1)(2), 6, 7 एवं गैस सिलेण्डर नियम 2018 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन हे तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी द्वारा जब्तशुद्वा कुल 130 गैस सिलेण्डर मय 665.20 किग्राम एलपीजी गैस, 01 इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिग मशीन मय पाईप 02 इलेक्ट्रिक कम्प्यूटराईज्ड कांटे एवं एक महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी–5703 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में राजसात करने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किऐ गये। अप्रार्थी 1 की ओर से श्री अशोक कुमार जैन व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से श्री संदीप टांक अभिभाषक उपस्थित आये, जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रकट किया कि दिनांक 17.08.2022 को मुखबीर से लाल घरेलू सिलेण्डरो से बडे नीले वाणिज्यिक सिलेण्डरो में अवैध गैस रिफिलिग का कार्य करने का व्यवसाय की प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर के नेत्त्व में प्रवर्तन स्टॉफ जांच दल, द्वारा मार्बल इण्डस्ट्रियल रिको एरिया, किशनगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के प्लॉट पर पहुँच कर अप्रार्थी संख्या 01 की उपस्थिति में जांच कार्यवाही की गई। जॉच में मौके पर महिन्द्रा पिकअप वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे–01–जीसी–5703 खडी हुई पाई गई, जिसमें एचपीसीएल कंपनी के 77 खाली लाल घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा गैस) पाये गये। पिकअप वाहन पर सार्थक एचपी गैस एजेन्सी किशनगढ, अंकित किया, पाया गया। अप्रार्थी संख्या 01 श्री विश्राम जाट द्वारा पूछताछ में लाल घरेलू सिलेण्डरो भर्ती 14.2 किग्रा गैस प्रति सिलेण्डर से बडे नीले वाणिज्यिक सिलेण्डरो भर्ती 19 किग्रा गैस प्रति सिलेण्डर में अवैध गैस रिफिलिग का कार्य किया जाना स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र के लाल घरेलू सिलेण्डर 1150 प्रति सिलेण्डर की दर से एवं छोटे सिलेण्डर से बडे वाणिज्यिक सिलेण्डर में गैस भरकर 1850 रूपये प्रति सिलेण्डर की दर पर बिक्री किया जाना पाया गया। सार्थक एचपी गैस एजेन्सी, किशनगढ के वाहन महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी 5703 के चालक अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी सख्या 03 श्री लोकेश, सार्थक एचपी गैस एजेन्सी के कहने पर 14.2 कि0ग्राम गैस भर्ती के 20 घरेलू लाल सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 01 के प्लॉट पर उतारना स्वीकार किया गया है। मौके पर एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मोटर, दो इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटराईज्ड कांटे तथा कुल 130 गैस सिलेण्डर मय 665.2 कि.ग्रा गैस के पाये गए। मौके पर भण्डारित गैस सिलेण्डरो के बारे में श्री विश्राम जाट व पिकअप ड्राइवर श्री पुखराज भाटी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये

जिला कलक्टर
अजमेर

गये। मौके से अवैध रूप से भण्डारित कुल 130 गेस सिलेण्डरो मय एलपीजी 665.2 कि.ग्राम, दो इलेक्ट्रॉनिक कांटे, एक इलेक्ट्रिक रिफलिंग मशीन मय पाइप मैसर्स अर्जुन एचपी गैस एजेन्सी किशनगढ के कार्मिक श्री नवीन दाधीच को तथा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी–5703 को भारसाधक, पुलिस थाना गांधीनगर किशनगढ को अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिये गये। अप्रार्थीगण का आर्थिक हितों के लिए यह कृत्य मानव जीवन के लिए जोखिमपूर्ण एवं हानिकारक है जो कि एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1)(ख)(घ), 3 (3), 4 (1)(2), 6, 7 एवं गैस सिलेण्डर नियम 2018 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन हे तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी द्वारा जब्तशुद्वा कुल 130 गैस सिलेण्डर मय 665.20 किग्राम एलपीजी गैस, 01 इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिग मशीन मय पाईप 02 इलेक्ट्रिक कम्प्यूटराईज्ड कांटे एवं एक महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी–5703 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में राजसात करने के आदेश फरमावे।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि कथित प्लाट, व्यवसाय, वाहन संख्या आर.जे.–01 जी.सी 5703 एवं सार्थक एच.पी.गैस एजेन्सी से अप्रार्थी संख्या 01 का कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा कथित व्यवसाय के कोई खरीद या बिक्री संबधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थी संख्या 01 को द्वेषतावश झूठा फॅसाया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व की गयी कार्यवाही निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के द्वारा अपने जवाब तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि रसद विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि वाहन चालक से जब्त सिलेण्डर भरे हुए थे, इससे स्पष्ट है कि उक्त वाहन में पडे 77 सिलेण्डर पूर्णतया खाली थे, ना कि भरे हुए थे। वाहन चालक द्वारा कुल 80 सिलेण्डर (भरे हुए) मय डिलिवरी चालान के प्राप्त किये गये थे जिसमें से 3 भरे सिलेण्डर तो चमडाघर डिलीवरी पोईन्ट पर उतारे गये तथा बाकी 77 सिलेण्डर गांव में डिलीवर किये गये। उक्त गैस सिलेण्डरों की डिलेवरी नियमानुसार विधिक प्रकिया का पूर्ण पालन करते हुए की जा रही थी। जिस जगह वाहन जब्त किया गया है वह गली काफी सकडी है। वाहन बंद हो जाने कारण मजबूरन वाहन चालक को वाहन वहॉ ही खडा करना पडा। चूंकि प्रार्थी द्वारा वरवक्त जब्ती सिलेण्डर, स्वत्रंत गवाहो के बयान लेखबद्व नही किये गये। लिहाजा प्रकरण खारिज किये योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 20 भरें हुए सिलेण्डर अप्रार्थी संख्या 03 के कहने पर उतारे जाना अंकित किया गया है वहीं दूसरी ओर अपने ही प्रार्थना पत्र में 17 भरे हुये सिलेण्डर सील बंद जब्त करना बताया गया है, जो संदेहास्पद है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व की गई कार्यवाही में पूर्णतयाः विरोधाभासी होने के कारण प्रार्थना पत्र. खारिज योग्य होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावें। ।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध लाल घरेलू सिलेण्डरो से बडे नीले वाणिज्यिक सिलेण्डरो में अवैध गैस रिफिलिग का कार्य करने का व्यवसाय किये जाने की प्राप्त सूचना/शिकायत पर जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन स्टाफ के संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच कार्यवाही पर मौके पर लाल घरेलू सिलेण्डरो भर्ती 14.2 गैस प्रति सिलेण्डर से बडे नीले वाणिज्यिक सिलेण्डरो भर्ती 19 किग्रा गैस प्रति सिलेण्डर में अवैध गैस रिफिलिग का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर खडी अप्रार्थी संख्या 04 की महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी 5703 में एचपीसीएल कम्पनी के 77 (14.2 किग्रा गैस क्षमता वाले) सिलेण्डर, पाये गये है। अप्रार्थी संख्या 04, सार्थक एच पी गैस

जिला कलक्टर
अजमेर

एजेन्सी किशनगढ की संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 29.8.2022 का अवलोकन किया गया जिसमें 80 भरे हुए सिलेण्डर उक्त वाहन में लोड किया जाना तो पाया गया, किन्तु दिनांक 17.8.2022 के स्टाक रजिस्टर में 77 खाली सिलेण्डरों का इन्द्राज नहीं पाया गया है। वरवक्त जांच मौके से विभिन्न गैस कम्पनियों एचपीसीएल, आईओसीएल, रिलायन्स, बीपीसीएल, आदि के अवैध रूप से भण्डारित कुल 130 गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 665.2 किग्रा, दो इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूराईज्ड कांटे, एक इलेक्ट्रिक रिफिलिंग मशीन मय पाईप कब्जे राज किये गए है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिये गये बयानों में भी लाल घरेलू सिलेण्डर 1150/– रूपये प्रति सिलेण्डर की दर से तथा छोटे सिलेण्डर से बडे नीले वाणिज्यिक सिलेण्डरो में गैस भरकर 1850/–रूपये प्रति सिलेण्डर की दर से विक्रय किया जाना स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन)आदेश 2000 के खण्ड एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1)(ख)(घ), 3 (3), 4 (1)(2), 6, 7 एवं गैस सिलेण्डर नियम 2018 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौके से कब्जे राज लिये गये एचपीसीएल के 115, आईओसीएल के 9, रिलायस का 01, बीपीसीएल के 4 एवं अपठित कम्पनी का 01, कुल 130 सिलेण्डर मय 665.2 किग्रा गैस, इलेक्ट्रिीक रीफिलिंग मोटर, दो इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटराईज्ड कांटे को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जब्त गैस सिलेण्डरों के पेटे जमा अमानत राशि सम्बन्धित कम्पनी/एजेन्सी से वसूल कर, जप्त अन्य सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त समस्त राशि राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें। चूंकि अप्रार्थी संख्या 2 वाहन चालक, महिन्द्रा पिकअप आरजे–01–जीसी 5703 द्वारा मौके पर दिये गये बयानों मे अवैध रिफिलिंग हेतु 20 घरेलु गैस सिलेण्डर, अप्रार्थी संख्या 03, लोकेश, कार्मिक सार्थक एच पी गैस एजेन्सी किशनगढ के कहने पर अप्रार्थी संख्या 01 को सप्लाई किया जाना स्वीकार किया गया है। लिहाजा महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी 5703 को अवैध रिफलिंग के परिवहन के उपयोग में लिया जाना साबित होने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या आरजे–01–जीसी 5703 पर प्रति सिलेण्डर 1070/–किंमत आंकलन करते हुए 20 सिलेण्डर की राशि रूपये 21400/– की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी/वाहन मालिक द्वारा शास्ति राशि जमा कराने पर जब्त वाहन संख्या आरजे–01–जीसी 5703 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं हों तो बाद संतुष्टि दस्तावेज के सम्बन्धित को नियमानुसार सुपुर्द किये जाने के आदेश जिला रसद अधिकारी, अजमेर को दिया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर